

कार्यवाही विवरण

आदेश

21/2/24 पत्रावली पेश हुई। आज भाषभाष TDR, नवलखेट से वि.
 1 घंटा न्यायालय कार्य स्थगित रखा प्रस्ताव प्राप्त।
 गया है। अतः पत्रावली अधिसूचना कार्यालय
 दिनांक 21/3/24 को पेश हो।

गोपिचंद

5/3/24 पत्रावली पेश हुई। कृपया पत्रावली पेश करने
 उपस्थित कृपया कृपया पत्रावली पेश करने
 प्राप्त विभाजन प्रलय से स्वीकार करे हुए
 उसके बावजूद यह कानून स्थिति जारी करने
 का निवेदन किया गया है। कृपया पत्रावली
 वाले अधिसूचना दिनांक 19/3/24 को पेश हो।

Reader
जांच क

एवम्
 5/3/24

19/3/24 पत्रावली पेश हुई। कृपया पत्रावली पेश करने
 बाद बाद मुलाखत वि. प्रस्ताव रखी जाए
 किमा डाका हो विस्तृत निर्णय पूर्वक
 से निरवाचना डाकर शा. वि. किमा गभरा
 पत्रावली फेरफार इतुमार होकर ही नवल
 से काम हो तथा बाद नकली
 जाप्ता दारिकन दफ्तर हो।



न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी - हवाई सिंह यादव
(आर.ए.एस्.)

मुकदमा नम्बर 56/2021

दायर दिनांक-04.08.2021

1. विजेन्द्र कुमार पुत्र मदनलाल जाति नाई निवासी झाझड़
2. केशर पुत्र भगवानाराम जाति नाई निवासी झाझड़
3. मूलचन्द पुत्र घनश्याम जाति नाई निवासी झाझड़
4. नवरंगलाल पुत्र घनश्याम जाति नाई निवासी झाझड़
5. मुंगती लाल उर्फ मुक्तिलाल पुत्र जुगल जाति नाई निवासी झाझड़
6. रमेश कुमार पुत्र मटरूमल जाति नाई निवासी झाझड़
7. गिण्डाराम पुत्र मटरूमल जाति नाई निवासी झाझड़
8. भंवरलाल पुत्र मटरूमल जाति नाई निवासी झाझड़
9. अशोक कुमार पुत्र मटरूमल जाति नाई निवासी झाझड़
10. प्रेम पत्नी मोहन जाति नाई निवासी झाझड़
11. प्रवीण पुत्र मोहन जाति नाई निवासी झाझड़
12. मंजू पत्नी बोदूराम जाति नाई निवासी झाझड़
13. विकास पुत्र बोदूराम जाति नाई निवासी झाझड़

- वादीगण

बनाम

1. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
2. श्रवण पुत्र मटरूमल जाति नाई निवासी झाझड़
3. सुमित्रा पुत्री मटरूमल जाति नाई निवासी झाझड़
4. छबीला पुत्र भगवानाराम जाति नाई निवासी झाझड़

वकील वादी : - श्री किशोर कुमार जांगिड़
वकील प्रति. नं. :- श्री मुकेश कुमार

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणार्थ, विभाजन
अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-:: निर्णय ::-

दिनांक-19.03.2024

वाद वादी दिनांक 28.06.2022 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमीश्नर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: भू0 अ0/2021/340 दिनांक 08.02.2024 द्वारा प्रस्तुत करने पर बहस विभाजन प्रस्ताव वकील उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली व विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

उक्त वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा।

राजस्व ग्राम झाझड़ की सरहद में स्थित आराजी नये खसरा नम्बर 1280, 443, 536 कुल किता 3 कुल रकबा 2.99 हैक्टर भूमि में निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

क्र. स.	घोषित खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	विजेन्द्र कुमार पुत्र मदनलाल जाती नाई साकिन देह खातेदार।	536/2 1280/1	0.2137 0.1550	बारानी-2 बारानी-2
2	केशर पुत्र भगवाना जाति नाई साकिन देह खातेदार	443/2 1280/4	0.2138 0.1550	बारानी-1 बारानी-2


H. S. S. (P. D.)
नवलगढ़

3	छबीला पुत्र भगवाना जाति नाई साकिन देह खातेदार	536/3 1280/6	0.2137 0.1550	बाराणी-1 बाराणी-2
4.	मूलचन्द, नवरंगलाल पिता घनश्याम जाति नाई हिस्सा बराबर साकिन देह खातेदार।	536/1 1280/3	0.2138 0.1550	बाराणी-1 बाराणी-2
5	मुंगतीलाल वर्मा पुत्र जुगल किशोर जाति नाई साकिन देह खातेदार।	536/6 1280/7	0.2137 0.1550	बाराणी-1 बाराणी-1
6.	गिण्डाराम, भंवरलाल, रमेशकुमार, श्रवण कुमार, अशोक कुमार पुत्रगण मटरूमल, सुमित्रा पुत्री मटरूमल हिस्सा बराबर जाति नाई साकिन देह खातेदार।	536/4 1280/8	0.2138 0.1550	बाराणी-1 बाराणी-2
7.	मंजू देवी पत्नी महेन्द्र कुमार, विकास कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार हिस्सा बराबर जाति नाई साकिन देह खातेदार।	443/3 1280/9	0.2137 0.1550	बाराणी-1 बाराणी-2
8	प्रेम पत्नि मोहन, प्रवीण पुत्र मोहन हिस्सा बराबर जाति नाई साकिन देह खातेदार।	443/1 536/5 1280/2	0.1525 0.0613 0.1550	बाराणी-1 बाराणी-1 बाराणी-2
9.	विजेन्द्र कुमार पुत्र मदन लाल हिस्सा 1/8, केशर पुत्र भगवाना हिस्सा 1/8, छबीला पुत्र भगवाना हिस्सा 1/8, मूलचन्द, नवरंगलाल पिता घनश्याम हिस्सा 1/8, मुंगतीलाल वर्मा पुत्र जुगल किशोर हिस्सा 1/8, गिण्डाराम, भंवरलाल, रमेश कुमार, श्रवण कुमार, अशोक कुमार पुत्रगण मटरूमल, सुमित्रा पुत्री मटरूमल हिस्सा 1/8, मंजू देवी पत्नी महेन्द्र कुमार, विकास कुमार पिता महेन्द्र कुमार हिस्सा 1/8, प्रेम पत्नि मोहन, प्रवीण पुत्र मोहन हिस्सा 1/8 जाति नाई साकिन देह खातेदार।	1280/5	0.04	बाराणी-2

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नहीं है तो पक्षकारान् अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ़्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हवाई सिट्टे-यदव)
 (हवाई सिट्टे-यदव)
 सहायक क्लर्क एवं कोर्टपालक मजिस्ट्रेट
 (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

52

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)
 नवज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
 पीठासीन अधिकारी :- हवाई सिंह यादव(आर.ए.एस.),

मुकदमा नम्बर 56/2021

दावा : घोषणा व विभाजन

(विजेन्द्र कुमार आदि बनाम भूमि धारक आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी वकील वादीगण मनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब-मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 19.03.2024 निर्णय वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा।


राजस्व ग्राम झाझड़ की सरहद में स्थित आराजी नये खसरा नम्बर 1280, 443, 536 कुल किता 3 कुल रकबा 2.99 हैक्टर भूमि में निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

क्र. स.	घोषित खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	विजेन्द्र कुमार पुत्र मदनलाल जाती नाई साकिन देह खातेदार।	536/2 1280/1	0.2137 0.1550	बारानी-2 बारानी-2
2	केशर पुत्र भगवाना जाति नाई साकिन देह खातेदार	443/2 1280/4	0.2138 0.1550	बारानी-1 बारानी-2
3	छबीला पुत्र भगवाना जाति नाई साकिन देह खातेदार	536/3 1280/6	0.2137 0.1550	बारानी-1 बारानी-2
4.	मूलचन्द, नवरंगलाल पिता घनश्याम जाति नाई हिस्सा बराबर साकिन देह खातेदार।	536/1 1280/3	0.2138 0.1550	बारानी-1 बारानी-2
5	मुगंतीलाल वर्मा पुत्र जुगल किशोर जाति नाई साकिन देह खातेदार।	536/6 1280/7	0.2137 0.1550	बारानी-1 बारानी-1
6.	गिण्डाराम, भंवरलाल, रमेशकुमार,श्रवण कुमार, अशोक कुमार पुत्रगण मटरूमल, सुमित्रा पुत्री मटरूमल हिस्सा बराबर जाति नाई साकिन देह खातेदार।	536/4 1280/8	0.2138 0.1550	बारानी-1 बारानी-2
7.	मंजू देवी पत्नी महेन्द्र कुमार, विकास कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार हिस्सा बराबर जाति नाई साकिन देह खातेदार।	443/3 1280/9	0.2137 0.1550	बारानी-1 बारानी-2
8	प्रेम पत्नि मोहन, प्रवीण पुत्र मोहन हिस्सा बराबर जाति नाई साकिन देह खातेदार।	443/1 536/5 1280/2	0.1525 0.0613 0.1550	बारानी-1 बारानी-1 बारानी-2
9.	विजेन्द्र कुमार पुत्र मदन लाल हिस्सा 1/8, केशर पुत्र भगवाना हिस्सा 1/8, छबीला पुत्र भगवाना हिस्सा 1/8, मूलचन्द,नवरंगलाल पिता घनश्याम हिस्सा 1/8, मुगंतीलाल वर्मा पुत्र जुगल किशोर हिस्सा 1/8, गिण्डाराम, भंवरलाल, रमेश कुमार, श्रवण कुमार, अशोक कुमार पुत्रगण मटरूमल, सुमिता पुत्री मटरूमल हिस्सा 1/8, मंजू देवी पत्नी महेन्द्र कुमार, विकास कुमार पिता महेन्द्र कुमार हिस्सा 1/8, प्रेम पत्नि मोहन, प्रवीण पुत्र मोहन हिस्सा 1/8 जाति नाई साकिन देह खातेदार।	1280/5	0.04	बारानी-2


 ह. सी. ई. एम. (पत्र. दे.)
 नवलगढ

133

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त
कर राजस्थान लैंड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल
कराया जावे।
बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 19.03.2024 को जारी की गई।


सहायक कलेक्टर एवं जिला पब्लिक मजिस्ट्रेट
(फास्ट-ट्रेक) नवलगढ जिला झुन्झुनू